कार्यालय तहसीलदार, बुलन्दशहर

पत्रांक 861 (5) / र0का0 / मत्स्य पट्टा / 2015-16 दिनांकः- 1.8.15

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों / पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टे पर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील बुलन्दशहर में नायब तहसीलदार वरन के न्यायालय में दिनांक **28-08-2015** को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। 2.00 बजे तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जायेगे 2.00 बजे के बाद पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश सं0 3756-1-2/95 रा0-2 दिनांक 17-10-1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियो / समुदाय / अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रु0 22500/- प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा,खतौनी व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित स्थान व तिथि एवं नियत समय पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति / अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैः-

कमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(है0में0)	कमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(है0में0)
1	बरारी	80	0.640	8	इमलिया	16	1.944
2	खेतलपुर भॉसौली	166 264	0.417 0.848	9	कलौली	458	0.341
3	हरतौली	36	1.287	10	कौलसेना	416	1.423
4	सीकरी	285क	0.974	11	मैथना जगतपुर	238	1.020
5	मानकपुर	135/1 135/2 177	2.453 0.252 0.822	12	सीही	148 154	0.771 0.949
6	दरियापुर	169 325	0.341 0.519	13	वहलीमपुरा	12/2	0.961
7	भड़ौली	207	2.125				

तहसीलदार,
बुलन्दशहर।

पत्रांक 861 (5) / र0का0 / मत्स्य पट्टा / 2015-16 दिनांकः- 1.8.15

प्रतिलिपिः-

1-जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2-उप जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3-उप जिलाधिकरी / तहसीलदार,सिकन्द्राबाद / डिबाई / स्याना / खुर्जा / अनूपशहर / शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
4-सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
6-अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
7-राजस्व निरीक्षक वरन / अगौता / औरंगाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बंधित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने-अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।
8-नायब तहसीलदार, वरन को सूचनार्थ।
9-सम्बंधित ग्राम सभा प्रधान / अध्यक्ष भूमि प्रबन्धन समिति को सूचनार्थ।

1/8/15

तहसीलदार,
बुलन्दशहर।